

9

सं०सं०-2/सां०चि०पदा०-74/2024-

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय : डा० बिमलेश कुमार बिमल, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल बखरी, बेगूसराय सम्प्रति प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल, बेगूसराय का दिनांक-28.06.2023 से 18.03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-1017(2), दिनांक-11.09.2020 द्वारा डा० बिमलेश कुमार बिमल को सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिग्धी, लक्ष्मीपुर, जगुई में नियुक्ति-सह पदस्थापन किया गया, जिसके अनुपालन में डा० बिमल द्वारा दिनांक-16.09.2020 को पदस्थापित संस्थान में योगदान समर्पित किया गया एवं दिनांक-16.09.2020 को अपराह्न में प्रभार त्याग कर इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में सीनियर रेजिडेन्ट के टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु विरमित हो गये। टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पश्चात डा० बिमल को इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के ज्ञापांक-3005, दिनांक-27.06.2023 द्वारा विरमित किया गया। उक्त के आलोक डा० बिमल द्वारा दिनांक-27.06.2023 को ही पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना संख्या-356(2) दिनांक-15.03.2024 द्वारा डा० बिमल का पदस्थापन अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी, बेगूसराय में किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में डा० बिमल द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय, बेगूसराय में दिनांक-16.03.2024 के पूर्वाह्न में योगदान समर्पित किया गया एवं दिनांक-19.03.2024 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया गया।

वर्णित स्थिति में डा० बिमलेश कुमार बिमल, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी, बेगूसराय सम्प्रति प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, बेगूसराय के दिनांक-28.06.2023 से 18.03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्न रूप में विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-28.06.2023 से 12.07.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
ii.	दिनांक-13.07.2023 से 31.07.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
iii.	दिनांक-01.08.2023 से 31.08.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
iv.	दिनांक-01.09.2023 से 12.09.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)

v.	दिनांक-13.09.2023 से 10.01.2024 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
vi.	दिनांक-11.01.2024 को 21.01.2024 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
vii.	दिनांक-22.01.2024 से 15.03.2024 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
viii.	दिनांक-16.03.2024 से 18.03.2024 तक	-	पदग्रहण काल विस्तार के रूप में।

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-74/2024-

9355(2)

पटना, दिनांक 25/9 /2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) विभाग बिहार पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बेगूसराय/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल बखरी, बेगूसराय/अधीक्षक, सदर अस्पताल, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/डा० बिमलेश कुमार बिमल, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल बखरी, बेगूसराय सम्प्रति सदर अस्पताल/बेगूसराय/प्रशाखा-3, ५ एवं 13A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. K. 25/9/26
सरकार के उप सचिव।